स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करना

द हिंदू

पेपर- II (शासन)

1 मई, 2014 को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम लागू होने के बाद से एक दशक बीत चुका है, जो लगभग चार दशकों के कानूनी न्यायशास्त्र और पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर आंदोलनों के अथक प्रयासों के बाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक प्रगतिशील कानून के रूप में मनाए जाने वाले इस अधिनियम को अब इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो, केवल एक कानून बना देने से भारतीय शहरों में स्ट्रीट वेंडरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती; इसके क्रियान्वयन में वांछित होने के लिए बहुत कुछ था।

कानून के प्रावधान

स्ट्रीट वेंडर, जो किसी भी शहर की आबादी का 2.5% होने का अनुमान है, शहरी जीवन में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। स्थ. ानीय सब्जी विक्रेता और खाद्य विक्रेता दैनिक सेवाओं के आवश्यक प्रदाता हैं। वेंडिंग कई प्रवासियों और शहरी गरीबों को मामूली लेकिन लगातार आय का स्रोत प्रदान करती है। विक्रेता उचित मूल्य पर भोजन, पोषण और सामान वितरण श्रृंखला में महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करके शहर के जीवन को दूसरों के लिए किफायती बनाते हैं।

स्ट्रीट वेंडर भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं - वड़ा पाव के बिना मुंबई की कल्पना करें या सड़क किनारे दोसाई के बिना चेन्नई की कल्पना करें । इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कानून बनाया गया था। इसका उद्देश्य राज्य-स्तरीय नियमों और योजनाओं के साथ शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग को 'संरक्षित' और शविनियमितश करना और उप-कानूनों, योजना और विनियमन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा कार्यान्वयन करना है। यह अधिनियम विक्रेताओं और सरकार के विभिन्न स्तरों दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। यह विक्रेताओं की सकारात्मक शहरी भूमिका और आजीविका संरक्षण की आवश्यकता को पहचानता है। यह वेंडिंग जोन में सभी 'मौजूदा' विक्रेताओं को समायोजित करने और वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम टाउन वेंडिंग समितियों (टीवीसी) के माध्यम से एक सहभागी शासन संरचना स्थापित करता है और यह आदेश देता है कि टीवीसी सदस्यों में से 40% स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों का होना चाहिए, जिसमें 33% महिला स्ट्रीट वेंडरों का उप-प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन समितियों को वेंडिंग जोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, अधि नियम शिकायतों और विवादों को संबोधित करने के लिए तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें एक सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके प्रावधान, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग जरूरतों को संबोधित करने के लिए समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हैं।

तीन व्यापक चुनौतियाँ

हालाँकि, इस अधिनियम को तीन व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले, प्रशासनिक स्तर पर, सड़क विक्रेताओं के संरक्षण और विनियमन पर जोर देने के बावजूद, सड़क विक्रेताओं के उत्पीड़न और निष्कासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह अक्सर पुरानी नौकरशाही मानसिकता के कारण होता है जो विक्रेताओं को अवैध संस्थाओं के रूप में देखता है जिन्हें हटाया जाना है। राज्य प्राधिकारियों, व्यापक जनता और विक्रेताओं के बीच भी इस अधिनियम के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता की व्यापक कमी है। टीवीसी अक्सर स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों के सीमित प्रभाव के साथ, स्थानीय शहर के अधिकारियों के नियंत्रण में रहते हैं और टीवीसी में महिला विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व अधिकतर सांकेतिक है।

दूसरा, शासन स्तर पर, मौजूदा शहरी शासन तंत्र अक्सर कमजोर होते हैं। यह अधिनियम शहरी शासन के लिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित ढांचे के साथ अच्छी तरह से एकीकृत नहीं है। यूएलबी के पास पर्याप्त शक्तियों और क्षमताओं का अभाव है। स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएं, संसाधनों से भरपूर और ऊपर से नीचे तक नीतिगत प्राथमिकताओं के रूप में आगे बढ़ाई गई, ज्यादातर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं और शहर की योजना में सड़क विक्रेताओं को शामिल करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करती हैं।

तीसरा, सामाजिक स्तर पर, शविश्व स्तरीय शहरश की प्रचलित छवि बहिष्करणवादी होती है। यह सड़क विक्रेताओं को शहरी अर्थव्यवस्था में वैध योगदानकर्ताओं के रूप में स्वीकार करने के बजाय उन्हें शहरी विकास में बाधा के रूप में हाशिए पर रखता है और

कलंकित करता है। ये चुनौतियाँ शहर के डिजाइन, शहरी नीतियों और आस-पड़ोस के बारे में सार्वजनिक धारणाओं में परिलक्षित होती हैं।

आगे का रास्ता

हालांकि अधिनियम प्रगतिशील और विस्तृत है, इसके कार्यान्वयन के लिए समर्थन की आवश्यकता है, संभवतः (और विडंबना यह है कि) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से ऊपर से नीचे की दिशा और प्रबंधन की आवश्यकता है। देश भर में सड़क विक्रेताओं की विविध आवश्यकताओं और संदर्भों को संबोधित करने में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसे समय के साथ विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए माइक्रो-क्रे. डिट सुविधा, पीएम स्वनिधि, उस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण रही है। हस्तक्षेपों को विकेंद्रीकृत करने, शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की योजना बनाने के लिए यूएलबी की क्षमताओं को बढ़ाने और टीवीसी स्तर पर उच्च-स्तरीय विभाग-नेतृत्व वाली कार्रवाइयों से वास्तविक विचार-विमर्श प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने की सख्त जरूरत है। स्ट्रीट वेंडिंग को शामिल करने के लिए शहरी योजनाओं, शहर नियोजन दिशानिर्देशों और नीतियों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सरकार की पहल

स्वनिधि योजना

- स्वनिधि (SVANidhi) योजना शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिये शुरू की गई थी, जिनमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे।
- इसका उद्देश्य 1,200 रुपए प्रतिवर्ष की राशि तक कैश-बैक प्रोत्सा. हन के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया

- NASVI एक ऐसा संगठन है जो देश भर के हजारों स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिये कार्य कर रहा है।
- NASVI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में स्ट्रीट वेंडर संगठनों को एक साथ लाना था ताकि वृहद् स्तर पर बदलावों के लिये सामूहिक रूप से प्रयास किया जा सके।

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम, 2014

- इस अधिनियम को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को विनियमित करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु लागू किया गया था।
- यह अधिनियम स्ट्रीट वेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र पर, किसी अस्थायी जगह पर बने ढाँचे से या जगह-जगह घूमकर, आम जनता के लिये रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करता है।

अधिनियम को अब नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे विक्रेताओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि, ई-कॉमर्स से प्रतिस्पर्धा और आय में कमी। सड़क विक्रेताओं की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अधि नियम के व्यापक कल्याण प्रावधानों का रचनात्मक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में स्ट्रीट वेंडरों पर उप-घटक को बदली हुई वास्तविकताओं का संज्ञान लेने और जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन उपायों की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का मामला अंतरिक्ष, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों और शासन पर प्रतिस्पर्धा की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करता है, जो भविष्य के कानून बनाने और कार्यान्वयन के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारत में स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. स्वनिधि योजना केवल शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लायी गई है।
2. नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया भारत में स्ट्रीट वेंडर संगठनों का एकीकृत मंच है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to street vendors in India-

1. Swanidhi scheme has been introduced for street vendors only in urban areas.
2. National Association of Street Vendors of India is a unified platform of street vendor organizations in India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 & 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : B

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Mains Expected Question & Format)

प्रश्नः भारत में स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम लागू हुए आज एक दशक हो गया है। इस अधिनियम का वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में विश्लेषण करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करें।
- दूसरे भाग में स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष वर्तमान चुनौतियों की चर्चा करें तथा मौजूदा अधिनियम का इन चुनौतियों के संदर्भ में विश्लेषण करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।